Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

* Vol-3* *Issue-1* *January 2026*

www.researchvidyapith.com ISSN (Online): 3048-7331

बिहार आगमन के पश्चात् लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में महात्मा गाँधी का योगदानः एक ऐतिहासिक अध्ययन

कुमार विश्व विभूति

शोधार्थी, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा

प्रो० (डॉ०) संजय कुमार

शोध पर्यवेक्षक, स्नातकोत्तर इतिहास विभाग, राजेन्द्र कॉलेज, छपरा

Article Info: *(Recieved- 09/11/2025, Accept- 16/12/2025, Published- 10/01/2026)*

DOI- 10.70650/rvimj.2026v3i1003

भारत में ब्रिटिश प्रशासन खासकर भारत में उन्हीं उद्योगों को बढ़ावा दिया जो इंग्लैण्ड में पनप रहे उद्योगों को सुविधाजनक रूप से कच्चे माल उपलब्ध करा सकें। बिहार बंगाल का सूबा होने के कारण यह ब्रिटिश प्रशासन के सीधे अधिकार क्षेत्र में पड़ता था। बंगाल ब्रिटिश प्रशासन का राजधानी भी हुआ करती थी। बिहार में अंगेजों ने अफीम, शौरा, नील, चीनी और चाय के व्यापार में अभिरूचि ली तथा इस व्यवसाय को बढ़ावा दिया। इसके बाद उन्होंने सूती वस्त्र, लाह, रेशमी वस्त्र, जूट, पटसन, लोहा, कोयला, एवं रेलवे में अपना ध्यान केन्द्रित किया। कपास, जूट, पटसन, नील, लाह इत्यादि की खेती खासकर तिरहुत, भागलपुर एवं मगध कमिश्नरी में ज्यादा होती थी। इसलिए यहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योग ज्यादा प्रभावित हुए। अंग्रेज इन सभी चीजों का कच्चा माल खरीदकर इंग्लैण्ड भेज देते थे। जिसका परिणाम यह हुआ कि इस व्यवसाय से जुड़ी देशी एवं लघु कुटीर उद्योग का पतन होना शुरू हुआ क्योंकि उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। मिलों से बनकर सामग्री भारत में आकर छा जाते थे तथा वे सस्ते दामों पर बिकने के कारण बिहार के बाजार में छा गये थे। सस्ते होने के कारण सामान्य लोग इसका उपयोग अधिक से अधिक करने लगे। इस प्रतिस्पर्धा में बिहार के परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योग समाप्ति की ओर अग्रसर होने लगे।

जीवनयापन के लिए अनाज की कमी होने लगी क्योंकि लोग अपने खेतों में चावल, गेहूँ, दाल, सब्जी, तेल, मसाला उपजाने के बदले अंग्रेजों द्वारा निर्धारित कच्चे माल के उत्पादन में लग गए क्योंकि उन्हें कृषि जनित मालगुजारी टैक्स भी देना पड़ता था। इस काम में बिहार के जमींदार लोगों ने अंग्रेजों को भरपूर सहायता किया। अंग्रेज इस काम के लिए बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कोठी खोल रखे थे। प्रत्येक कोठी में उनका मैनेजर एवं कर्मचारी रहा करते थे। कोठी के मैनेजर को जमींदारों से सीधा संबंध होता था। तथा जमींदार का संबंध ग्रामों के किसानों से होता था। किसान पढ़े लिखे बहुत कम थे जिनके कारण उनका दोहरा शोषण होता था। एक तरफ अंग्रेज द्वारा तथा दूसरा तरफ जमींदारों द्वारा। किसान अक्सर लगान सही समय पर चुका दिया करते थे किन्तु अशिक्षित होने के कारण जमींदार उन्हें बार–बार लगान टैक्स देने के लिए बाध्य करते थे। जब किसान टैक्स नहीं देते थे तो जमींदार पुलिस के बल पर उनसे जबरन वसूल करता था। 1911 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लगभग बिहार में 4% प्रतिशत ही लोग साक्षर थे। बिहार और उड़िसा में कुल साक्षर पुरूषों की संख्या 14,39,000 और महिला साक्षर की संख्या 76,000 अर्थात् महिलाओं में शिक्षा 1% प्रतिशत से भी कम थी।

सन् 1891 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के 72 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर थे, लेकिन 1892–1899 ईसवी के अंतिम सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार स्टीमेंसन मूर के अनुसार 85ः प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर थे। सन् 1901 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी के 80% प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर थे। विभिन्न

सर्वे प्रतिवेदन के आधार पर देखा गया है कि लोग अधिकांशतः खेती पर ही निर्भर थे। वे परंपरागत खेती, पशुपालन, अपने जरूरी सामान, ग्राम एवं समाज के लिए उपयोग में होने वालों चीजों की खेती करते थे ताकि इनकी जरूरतों की पूर्ति हो सके। इनके परंपरागत उद्योग कपड़ा बुनना, तेल पेरना, ऊन बुनना, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, सोनारगिरी, खपड़ा तैयार करना, मिट्टी के विभिन्न प्रकार का बर्तन बनाना, भेड़ पालन करना, गाय एवं बकरी पालना, चटाई एवं टोकरी बनाना।

बिहार बंगाल से अलग होकर 1912 ईसवी में एक नवीन प्रांत बना। यहाँ पहले से ही कृषि जनित लघु एवं कुटीर उद्योग–धंधे चल रहे थे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, रेशम उद्योग, लाह एवं लाख उद्योग, पीतल एवं मिट्टी के बर्तन उद्योग, जूट उद्योग, काँच उद्योग, चावल कुटना, गेहूँ पीसना, तेल पेरना, तम्बाकू उद्योग, दुग्ध उत्पादन हेतु गाय, भैंस, बकरी, ऊन उत्पादन हेतु भेड़ पालना, वनों से प्राप्त विभिन्न लकड़ियों का उद्योग, बाँस से बनी विभिन्न टोकरियाँ, सूप इत्यादि, कागज एवं लुग्दी उद्योग इत्यादि ग्राम एवं नगर दोनों स्तरों पर थे। जिनसे गाँवों के आवश्यकतों की पूर्ति भी होती थी तथा व्यापार का संचालन भी हुआ करता था। गाँवों में कपास की खेती काफी होती थी जिससे ग्रामवासी अपनी जरूरत भर के लिए खुद ही खादी बना लेता था तथा वह उसे महँगी भी नहीं पड़ती थी। मिलों का बना कपड़ा अगर ग्रामों के लोगों को बेकार बना रहा है, तो चावल कूटने और आटा पीसने के मिलें हजारों महिलाओं की न केवल आजीविका का साधन छीन रही हैं, बल्कि बदले में सामान्य जनता के स्वास्थ्य को हानि पहुँचा रही हैं। महिलाओं के हाथ की चक्की के पिसे हुए गेहूँ के आटे और हाथ–कुटे चावल के पौष्टिक तथा जीवनप्रद तत्वों से वंचित रख रही थी जो एक प्रकार का पाप है।

मोहनदास करमचंद गाँधी को बिहार के प्राचीन गौरवशाली इतिहास की पूर्ण जानकारी थी। उन्हें इस बात का ज्ञान था कि यह क्षेत्र अपने समय में राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में पल्लवित एवं विकसित हुआ था। इसलिए उन्होंने अपनी राजनीति की कार्यशाला बिहार की पवित्र धरती को बनाया। उन्हें यह भी ज्ञात था कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक एवं समुद्रगुप्त जैसे शक्तिशाली शासक हुए जिन्होंने अपना साम्राज्य भारत ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्रों तक फैलाया था। धार्मिक क्षेत्र में यह सबसे आगे था क्योंकि इस ध ारती ने केवल महात्मा बुद्ध, महावीर जैन एवं गुरूगोविन्द सिंह जैसे लोगों को जन्म ही नहीं दिया बल्कि उनके विचार एवं सिद्धांत को विदेशों तक फैलाया। शिक्षा के क्षेत्र में यह सबसे अग्रणी रहा तथा यहाँ नालंदा, विक्रमशिला एवं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय हुआ करता था जहाँ बिहार ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावे विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इन सब बातों की जानकारी होने के कारण ही महात्मा गाँधी ने चंपारण आंदोलन के दौरान 18 अप्रैल 1917 ईसवी को अपना अस्त्र सत्य एवं अहिंसा का व्यावाहारिक प्रयोग करके बिहार के लोगों को ही नहीं, देश के लोगों को और अंग्रेजी हुकूमत को भी दिखला दिए थे।

महात्मा गाँधी बिहार की धरती चंपारण आकर यहाँ के लोगों की माली हालत देखकर काफी अचंभित हो गए थे। यह राज्य अज्ञानता, व्याधियों, अंधविश्वासों, सामाजिक रूढ़िवादी कुरीतियों, छुआ–छूत, अस्पृश्यता, अशिक्षा, आर्थिक शोषण और अत्याचार के कुचक्र में दिन–रात कुचला जा रहा था। सफाई की व्यवस्था का अभाव तथा शिक्षा के अभाव के कारण यहाँ की जनता अनेकानेक तरह की बिमारियों से ग्रसित हो जाते थे, दूसरी ओर चिकित्सा का समुचित प्रबंध गाँवों में नहीं था और न ही वहाँ की जनता की ऐसी आर्थिक स्थिति थी कि वे नगरों में जाकर महँगी एलोपैथिक चिकित्सा करवा सके। गाँवों में शिक्षा का प्रवेश नहीं था, लोग अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए थे और इसे वे अपना भाग्य मान रहे थे। गाँव के बच्चे मारे–मारे फिरते थे या माता–पिता दो–तीन पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे ताकि वे अपनी जीविका चला सकें। इस समय पुरूषों की मजदूरी वहाँ दस पैसे से अधिक नहीं थी, स्त्रियों को छः पैसे तथा लड़कों की मजदूरी तीन पैसे थी। चार आने की मजदूरी पाने वाला मजदूर भाग्यशाली समझा जाता था। इसे दूर किये बिना सही ढंग से कोई सामाजिक प्रगति संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अभाव में अनेक तरह की बुराईयों से जर्जर समाज में राष्ट्रीय पुनर्जागरण या विकास असंभव सा प्रतीत हो रहा था। अपने स्वभाविक मानव प्रेम से अनुप्रेरित तथा बिहार में अपने अनुभवों के प्रकाश में गाँधीजी की धारणा पक्की हो गयी थी कि स्थायी तरह का कार्य सही तरीके से, ग्रामीण शिक्षा के बिना असंभव था, क्योंकि किसानों, मजदूरों एवं रैयतों का अज्ञान करूणाजनक था। ऐसी स्थिति में गाँधीजी ने सोचा कि गाँवों में प्रवेश करना तथा वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोलना अतिआवश्यक है।

गांधी के बिहार आगमन के पूर्व विभिन्न प्रकार के लघु एवं परंपरागत कुटीर उद्योगों का संचालन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा था। चंपारण आंदोलन के दौरान इन उद्योगों को तेजी से प्रगति करने का मार्ग प्रशस्त किया तथा असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात् भी इन लघु एवं कुटीर उद्योगों ने उनके आंदोलन को

जीवंत बनाये रखा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का इसने मार्ग प्रशस्त ही नहीं किया बल्कि लघु और कुटीर उद्योग जैसे रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया। परंपरागत लघु एवं कुटीर उद्योग उस समय बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण रूप से संचालित हो रहे थे जो निम्न प्रकार हैं:–

1. वस्त्र उद्योग निर्माण: बिहार का प्रचीन लघु कुटीर उद्योग है। इसके अंतर्गत सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र एवं ऊनी वस्त्र का कपड़ा तैयार होता था। उस समय सूती वस्त्र उत्पादन केन्द्रों में – गया, दरभंगा, डुमराँव, मोकामा, मुंगेर, फुलवारीशरीफ, भागलपुर, राँची एवं पुरी, पटना इत्यादि था।

रेशमी कपड़ा : भागलपुर, गया, शहाबाद, रामगढ़, मानभूम इत्यादि का उत्पादन का मुख्य केन्द्र था।

2. जूट उद्योग: जूट उद्योग बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत का महत्तवपूर्ण लघु एवं कुटीर उद्योग था। कपड़ा के बाद भारत का यह दूसरा मुख्य परंपरागत उद्योग था। इसके उत्पादन का मुख्य केन्द्र बंगाल एवं बिहार के तिरहुत कमिश्नरी हुआ करता था। तिरहुत कमिश्नरी के तहत पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में इसका उत्पादन अधिक हुआ करता था। आजादी से पहले भारत में 110 जूट उद्योग के कारखाने थे।

3. चीनी उद्योग: गन्ना से गुड़ बनाना एवं गुड़ से चीनी बनाने का उद्योग बिहार में काफी था। यह कृषिजनित उद्योग है। गन्ना के लिए अधिकतर वातारवरण तिरहुत कमिश्नरी में अनुकूल था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है तथा अधिकांशतः मिले भी इसी क्षेत्र में हैं। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण एवं मुजफ्फरपुर हुआ करता था। खासकर 1922 ईसवी तक शुगर के क्षेत्र में बिहार का स्थान संपूर्ण भारत में तीसरा था। तिरहुत कमिश्नरी में 30 चीनी मिलें हुआ करती थीं।

4. लाह उद्योग: लाह उद्योग भी खासकर छोटानागपुर के क्षेत्र में काफी विकसित हुआ। इसके अंतर्गत लाह का कीड़ा तैयार कर कपड़ा तैयार किया जाता था। इसके उत्पादन का केन्द्र छोटानागपुर का क्षेत्र, संथाल परगना, मानभूम एवं भागलपुर हुआ करता था

5. चावल एवं गेहूँ उद्योग: लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में यह परंपरागत व्यवासाय के अंतर्गत आता है। इसके उत्पादन के प्रमुख केन्द्र भोजपुर, रोहतास, गया और पूर्वी चंपारण करता था। इन्हीं क्षेत्रों में अधिकांशतः छोटी एवं बड़ी मिलें थी। खासकर गेहूँ उत्पादन केन्द्रों में, भोजपुर, रोहतास, गया, कैमूर, सारण, मुजफ्फरपुर आदि में हुआ करता था।

6. मिट्टी के बर्तन उद्योग: यह लघु एवं कुटीर उद्योग परंपरागत रूप से विकसित था। इस कार्य में कुम्हार जाति के लोग लगे हुए थे जिनकी आजिविका का मुख्य साधन हुआ करता था। इस उद्योग में उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के बर्तन मिट्टी से तैयार करके, उन्हें अच्छी तरह आग में पकाकर उपयोग में लाया जाता था जैसे मिट्टी का घड़ा, सुराही, कराही, ग्लास, ढ़कना, दीया इत्यादि। उनके उपयोग आमतौर पर अथवा पूजा–पाठ एवं पर्व–त्योहार में किया जाता था। इसका मुख्य केन्द्र मगध, नालंदा, सारण, वैशाली, सोनपुर एवं पटना था। यह उद्योग आज भी जीवित है।

7. लकड़ी उद्योग: राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस लघु एवं कुटीर उद्योग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। वनों से प्राप्त लकड़ियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की घरेलू सामग्री तैयार की जाती थी जैसे – कुर्सी, टेबुल, मेज, चौकी, खिलौना, आलमीरा, पलंग इत्यादि। बाँस से विभिन्न प्रकार के सामग्री दलित एवं जनजातीय नोग तैयार करते थे जैसे टोकरी, सूप, डलिया, चटाई, एवं रसोई में उपयोग होने वाली विभिन्न सामग्री। इस व्यवसाय में खासकर दलित एवं जनजातीय लोग लगे हुए थे। इस व्यवसाय का मुख्य केन्द्र उत्तरी बिहार :– पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज एवं भागलपुर, दक्षिणी बिहार में गया, नवादा, पटना एवं रोहतास छोटानागपुर क्षेत्र में संथाल परगना एवं सिंहभूम उड़ीसा में कटक के क्षेत्र प्रमुख केन्द्र थे। जब अंग्रेजों ने रेलवे लाईन बिछाना शुरू किया तो इस उद्योग में काफी तेजी आई क्योंकि रेल की पटरियों को बिछाने में वनों को विस्तृत पैमाने पर कटाई करके रेलवे की पटरिया बनाई जाने लगी। तब दलित एवं जनजातीय लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उन्हें काफी आघात पहुँचा क्योंकि वनों की लकड़ियों का उपयोग अपनी आजीविका के लिए कर रहे थे किन्तु अंग्रेज अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वनों के लकड़ियों का उपयोग कर रहे थे।

8. तेल उद्योग: इस लघु एवं कुटीर उद्योग ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ग्रामीण जीवन को भरपूर सहायता किया। यह उद्योग कृषि पर आधारित है तथा इसके कच्चे माल का उत्पादन ग्रामीण स्तर पर विस्तृत पैमाने पर होता है। बिहार में इसका उत्पादन मुख्य रूप से मगध, तिरहुत, संथाल परगना एवं भागलपुर हुआ करता था। तिलहन फसलों में सरसों, तीसी, मूंगफली और सूर्यमुखी जैसे विभिन्न तिलहन फसलों की खेती होती थी। तेल

पेरने का मशीन लकड़ी जिसे कोलहू कहा जाता था जिसे बैलों के सहारे तेल निकाला जाता था। तेल को उपयोग ग्रामीण लोग अपने आवश्यकता के अनुकूल करते थे तथा तेल के जो अवशेष बच जाता था उसका उपयोग जानवरों के लिए करते थे। इससे दुधारू पशु अत्याधिक चाव से खाकर अत्यधिक दूध देते थे।

9. पत्थर उद्योगः यह उद्योग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बेरोजगारों को जीवनयापन देने में काफी मददगार हुआ। इस लघु एवं कुटीर उद्योग के तहत बड़े–बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे–छोटे पत्थरों अर्थात् गिटी के रूप में परिणत कर दिया जाता था। इसका उपयोग घरों के निर्माण सड़कों एवं पुलों के निर्माण में किया जाता था। इन पत्थरों से आटा पीसने के लिए चक्की, घरों में प्रयोग करने के लिए लोढ़ा, सिलवट एवं ओखली प्रयोग करते थे। इसका प्रमुख केन्द्र मगध में गया, सासाराम, बक्सर, कैमूर एवं मुंगेर था। पत्थरों को तराश कर विभिन्न देवी–देवताओं की मूर्तियाँ बनायी जाती थीं।

10. छोटे स्तर पर लौह उद्योगः स्वतंत्रता संग्राम के समय में बिहार में लोहे के छोटे–मोटे सामग्रियाँ मुख्य रूप से व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे शिल्पकारों (लोहार) द्वारा बनाई जाती थी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थानीय लोहार कृषि औजार जैसे कुदाल, खुरपी, हँसिया, हल के फाले और घरेलू उपयोग के लिए ताँबा, कढ़ाई, पतीले, छुरी, भाले, कटार ताले एवं झुरिया इत्यादि विभिन्न प्रकार के बनाते थे। इस काम में पुश्तैनी पेशा से जुड़े लोहार जाति के लोगों की अहम भूमिका थी। इस लघु एवं कुटीर सामग्रियों का मुख्य केन्द्र मगध में गया, तिरहुत में मोतीहारी, हाजीपुर, छपरा, संथाल परगना एवं सिंहभूम जैसे क्षेत्र थे।

खासकर यह उद्योग अंग्रेजों के जमाने में सिंहभूम के क्षेत्र में काफी फला एवं फूला क्योंकि इस क्षेत्र में लोहे का भंडार पर्याप्त रूप में विद्यमान था। यही कारण है कि जमशेद जी टाटा लोहे के क्षेत्र में बड़े उद्योग लगाने के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने 1907 ईसवी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना करने पर विचार किया तथा 1912 ईसवी में यहाँ बड़े प्लांट लगवाया। 1918 ईसवी में इस उद्योग द्वारा 200,000 टन का उत्पादन पीग आयरन एवं 700,00 टन रेल की पटरियों को बनाने के काम हेतु उपयोग में लाया गया। इसके साथ ही साथ रेल की इंजन, बोगी एवं माल ढ़ोने वाले गुड्स ट्रेनों को बनाने में काफी तेजी आयी।

11. चमड़ा उद्योगः बिहार ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में यह उद्योग काफी पुराना है। इसमें दलित वर्ग के लोग अधिकांशतः इस पेशे से जुड़े हुए थे। खासकर इस पेशे में चमार जाति के लोग व्यवसाय के रूप में अपना पुश्तैनी पेशा मानते थे। इस व्यवसाय को कभी भी अनादर नहीं माना जाता था। मरे हुए जानवर के खाल उतारकर विभिन्न प्रकार की समाग्री बनाई जाती थी जैसे जुता, चप्पल, बेल्ट, पर्स, बैस, इत्यादि। अधिकांशतः चर्म उद्योग मगध, बेतिया, पटना, कटिहार, मुज़फ्फरपुर, पूर्णिया इत्यादि बिहार में उत्पादित केन्द्र था।

राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिसाब लगाकर देखा गया कि नौ करोड़ रूपया का कच्चा चमड़ा हर साल हिन्दुस्तान से बाहर जाता है और वह सबका सब बनी–बनाई चीजों के रूप में फिर यहाँ वापस आ जाता है। यह देश का सिर्फ आर्थिक ही नहीं बौद्धिक शोषण भी है। चमड़ा कमान और अपने नित्य के उपयोग में आनेवाली उसकी अनगिनत चीजें बनाने की शिक्षा हमें आज कहाँ मिल रही है। यहाँ शत प्रतिशत स्वदेशी प्रेमी के लिए काफी काम पड़ा हुआ है। साथ ही साथ एक बहुत बड़े सवाल को हल करने में जिस वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता है उस काम में लाने का क्षेत्र भी मौजूद है। इस एक काम से तीन अर्थ सधते हैं। एक तो इसमें हरिजनों की सेवा होती है, दूसरे ग्रामवासियों की सेवा और तीसरे मध्यम वर्ग के जो बुद्धिशाली लोग रोजगार धंधे की खोज में बेकार मारे फिरते हैं, उन्हें जीविका का एक प्रतिष्ठित साधन मिल जाता है।

12. लघु एवं कुटीर उद्योग में कोयलाः खासकर राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इस उद्योग में लघु उद्योग से वृहत उद्योग के रूप में परिणत होने लगा था। संथाल परगना के ग्रामीण इन्हें खाना बनाने, लोहे गलाने, आयरन करने एवं विभिन्न सामग्रियों के लिए करते थे। उस समय बिहार में कोयले का भंडार झरिया, गिरीडीह और कर्णपुरा में भंडार पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। अंग्रेजों ने इस उद्योग को व्यापारिक स्तर पर काफी बढ़ावा दिया तथा अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग करने लगे जैसे– उद्योग में, इससे कई मशीनों और प्रक्रियाओं को शक्ति मिली, परिवहन में – भाप इंजनों ने रेलवे और अन्य परिवहन माध्यामों को संचालित किया, जिससे वस्तुओं और लोगों का परिवहन आसान हुआ। औद्योगिक प्रक्रियाओं में– उच्च ताप वाली औद्योगिक प्रक्रियाओं में, विशेष रूप से इस्पात निर्माण में, कोयले का उपयोग सीधे होता था। बिहार में 1913 में कोयला खद्यान्नों से निकालने का कार्य प्रारंभ झरिया से शुरू हुआ। इस कार्य में 71,000 लोग लगे हुए थे बिहार में 1918 ईसवी में खद्यान्नों से कोयला 1,36,79,080 टन निकाला गया था जो पूरे भारत के 2/3 के बराबर था।

13. तम्बाकू उद्योगः राष्ट्रीय आंदोन के दौरान यह लघु एवं कुटीर उद्योग के तहत प्रमुख ग्रामीण उद्योग था। बिहार राज्य में तंबाकू से बीड़ी बनाने के 250 से ज्यादा छोटे–बड़े उद्योग थे। समस्तीपुर का रामपुर खैनी

उत्पादन का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र था, जहाँ विभिन्न समुदाय के लोग तंबाकू की खेती करते थे। इसके अलावा तंबाकू की खेती के अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों जैसे मोतिहारी और पूर्णिया में भी केन्द्र थे। अंग्रेजों के समय खासकर राष्ट्रीय आंदोलन में यह उद्योग काफी फला और फूला। मुंगेर बिहार का एकमात्र शहर था जहाँ पेनीनसूलर, इम्पीरियल टोबैको कंपनी द्वारा सिगरेट का उत्पादन होता था। खासकर अंग्रेज लोग इसके दिवाने थे तथा ग्रामीण लोग खैनी का उपयोग ज्यादा करते थे। यह उद्योग का विकास स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी विकसित हुआ।

14. पशुपालन उद्योगः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह उद्योग लघु रूप में ग्रामीण समाज को भरपूर सहयोग दिया। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध का उत्पादन करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। दुग्ध उत्पादन हेतु ग्रामीण लोग गाय, भैंस पाल कर दुग्ध अपनी ग्रामीण आवश्यकताओं को पूरा करते ही थे, साथ ही साथ अपनी जीविका का उपार्जन भी करते थे। इस व्यवसाय में खासकर ग्वाला एवं दलित वर्गों की अहम भूमिका होती थी। जो दलित वर्ग एवं मुसलमान भाई थे वे आर्थिक दृष्टि से अगर कमजोर थे तो गाय की जगह बकरी का पालन–पोषण करते थे। इनके रख–रखाव एवं चारा में ज्यादा खर्च नहीं पड़ता था। बकरी से दूध एवं मांस दोनों ही इन्हें प्राप्त हो जाया करता था। इनके साथ ही साथ ये लोग मुर्गी पालन भी करते थे। इनसे उन्हें अंडा एवं मांस दोनों ही प्राप्त हो जाया करता था। उस समय ग्रामीण क्षेत्र में खासकर मगध, तिरहुत, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्रों में इस व्यवसाय का काफी प्रचलन था।

15. पुश्तैनी पेशाः कुछ लघु एवं कुटीर उाद्योग पुश्तैनी हुआ करते थे। इस व्यवसाय के लोगों को ग्रामीण समाज में सेवा करना इनका प्रमुख कर्तव्य हुआ करता था। इसके बदले उन्हें फसल ऊगने पर उन्हें कुछ उनके सेवा के बदले मिला जाता था जिससे उनके परिवार का पालन–पोषण होता था। जैसे नाई एवं धोबी का कार्य प्रमुख था। इनकी भूमिका श्राद्ध–कर्म में अत्यधिक हुआ करती थी। इनके बिना ग्रामीण स्तर पर काम का निष्पादन नहीं हो सकता था। बाल–दाढ़ी एवं नाखून काटने में नाई समाज की अहम भूमिका थी तथा इनका व्यवसाय परंपरागत हुआ करता था। साथ ही साथ धोबी की भी अहम भूमिका होती थी क्योंकि इनके द्वारा कपड़ों की सफाई, आयरन करना एवं अन्य अवसर पर इनकी उपस्थिति अनिवार्य थी इस प्रकार यह दोनों वर्गों द्वारा समाज की सेवा की जाती थी।

इस प्रकार बिहार में ग्रामीण स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित थे जो अधिकांशतः कुषि, पशुपालन एवं वनों पर आधारित हुआ करते थे। क्योंकि इनका कच्चा माल इन्हीं से प्राप्त होता था। खासकर भारत एवं बिहार में बड़े उद्योग के प्रति मारवाड़ी, अग्रवाल, खत्री, सिंधी, बंगाली एवं पंजाबी समाज का झुकाव अत्यधिक होता चला गया तथा इन्हीं लोगों के द्वारा बड़े–बड़े उद्योग को स्थापित किया गया।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

संदर्भ–सूची

1. सेन्सेस रिपोर्ट ऑफ इंडिया, 1911, भाग–5 पार्ट–1 पृष्ट 361
2. हरिशचन्द्र चौधरी, "चंपारण का किसान आंदोलन और गाँधी जी", प्रकाशन संस्थान, द्वितीय संस्करण, 2016, पृष्ठ 24
3. महात्मा गाँधी, मेरे सपनों का भारत; राजपाल एंड सन्ज प्रकाशन, कश्मीरी गेट, दिल्ली, 2008, पृष्ठ 90
4. राजेन्द्र प्रसाद, चंपारण में महात्मा गाँधी; बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, चतुर्थ संस्करण, 1998, पृष्ठ 97–98
5. एम०के० गाँधी; 'आत्मकथा', नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद 1929, पृष्ठ 512

6. आर०आर० दिवाकर, बिहार थ्रू द एजेस; बिहार सरकार, 1959, पृष्ठ 774–776
7. आर०आर० दिवाकर, बिहार थ्रू द एजेस; बिहार सरकार, 1959, पृष्ठ 779
8. पूर्वोद्धृत, आर०आर० दिवाकर, पृष्ठ 777–778
9. पूर्वोद्धृत, महात्मा गाँधी, मेरे सपनों का भारत, पृष्ठ 94
10. हरिजन सेवक, 14.09.1934
11. आर०आर० दिवाकर, पृष्ठ 778–779
12. आर०आर० दिवाकर, पृष्ठ 780
13. आर०आर० दिवाकर, पृष्ठ 778

Cite this Article

'कुमार विश्व विभूति; प्रो० (डॉ०) संजय कुमार, "*बिहार आगमन के पश्चात् लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में महात्मा गाँधी का योगदानः एक ऐतिहासिक अध्ययन*", Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal, ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:3, Issue:1, January 2026.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

"Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY), allowing others to use, share, modify, and distribute it with proper credit to the author."